संबंध में लापरवाही बरती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित कर्मचारियों को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है; और

(ख) क्या सरकार श्रम न्यायालयों में विवादों के शीघ्र निपटान के लिये कुछ दिशा निर्देश जारी करने का विचार रखती है जिससे कि कर्मचारियों का न्यायालयों में विश्वास बना रह सके?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) यह सच नहीं है कि दिल्ली में श्रम न्यायालयों में कर्मचारियों के विवादों के अविलम्ब निपटान में लापरवाही है। इस समय दिल्ली में तीन औद्योगिक न्यायाधिकरण और दस श्रम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इन न्यायालयों का संचालन दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस समय सभी पद भरे हुए हैं।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए समय-सीमा की व्यवस्था है।

असंगठित श्रमिकों का कल्याण

2818. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के कल्याण और विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कर्मकारों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके कल्याण के लिए संगठित और असंगठित दोनों तरह के कर्मकारों के लिए अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गए हैं। इनमें से कुछ कानून हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 आदि। लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और माइका खानों, सिने उद्योग और बीड़ी उद्योग में लगे हुए कर्मकार भी संबंधित कल्याण निधियों के अधीन चलाए जा रहे विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल हैं। राज्य सरकारों ने भी बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं जिसके दायरे में हथकरघा बुनकरों, रिक्शा चालकों जैसे विशिष्ट कार्यकलापों में लगे एक बड़ी संख्या में कर्मकारों को रखा गया है। असंगठित कर्मकारों के नियोजन की गुणवत्ता और सेवा शर्तों में सुधार किया जाना सरकार के लिए सदैव ही चिन्ता का विषय रहा है

जहां तक नये नीतिगत कार्यकलापों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने निर्माण उद्योग, जो कि कृषि के बाद द्वितीय सर्वाधिक बड़ा एकल कार्यकलाप है और जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मकार नियोजित हैं, में नियोजित कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 का अधिनियमन किया है। सरकार का यह भी प्रयास रहा है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिक से अधिक कर्मकारों को विद्यमान उपायों में बढ़ोतरी की जाए और कल्याण उपायों को प्रदान किया जाए और विधायी संरक्षण प्रदान किया जाए।

भविष्य निधि संगठनों द्वारा निवेश

2819. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों द्वारा निवेश के संबंध में प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के उल्लंघन से संबंधित मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) क्या विभागेतर कर्मचारियों द्वारा वित्तीय गबन और धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में अब तक कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है; और

(ङ) गुजरात, उडीसा और मध्य प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या

कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

श्रम संबंधी मामलों का निपटान

2920. श्री नागमणि: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये अतिरिक्त श्रम मंत्रालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण और लोक अदालतों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फरवरी, 1998 तक कितने मामले लम्बित हैं और इन न्यायालयों द्वारा कितने निपटाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए भारत सरकार ने अब तक 12 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालयों की स्थापना की है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समुचित सरकार है। पिछले दो वर्षों में अन्य कोई केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गई है। श्रम मामलों के निपटान के लिए केन्द्रीय सरकार ने लोक अदालतों की व्यवस्था नहीं की है।

वर्ष 1997 के दौरान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के माध्यम से निपटाये गये तथा लम्बित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1997 (31.12.1997 की स्थिति के अनुसार) के दौरान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों द्वारा निपटाने गए तथा लम्बित मामलों की संख्या

क्रम संख्या	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय का नाम	जनवरी 1997 की स्थिति के अनुसार अग्रानीत	वर्ष 1997 के दौरान प्राप्त	वर्ष 1997 के दौरान निपटाए गए	31.12.97 की स्थिति के अनुसार लम्बित
1.	आसनसोल	201	65	93	173
2.	बंगलौर	371	—	3	368
3.	कलकत्ता	312	53	75	290
4.	चंडीगढ़	867	198	—	1065
5.	सं० 1. धनबाद	900	203	96	1007
6.	सं० 22. धनबाद	715	146	31	830
7.	जबलपुर **	1364	168	1	1531
8.	कानपुर	576	260	381	455
9.	सं० 1 मुंबई	170	72	56	186
10.	सं० 2 मुंबई	105	99	87	117
11.	नई दिल्ली	729	196	154	771
12.	जयपुर ***				
	कुल	6310	1460	977	6793

* 31.8.97 की स्थिति के अनुसार
** 31.8.97 की स्थिति के अनुसार
*** कार्य अभी शुरू किया जाना है।